रिकिटपिटेन्चस्पाई

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

R-1051-I/12

प्र.क. निगरानी–~~2012~~–

रामलतादेवी विधवा महेशचंद्र खण्डेलवाल
निवासी हाल मुकाम भोपाल

– **निगरानीकर्ता**

वि.

1. तहसीलदार महोदय आगर
2. म.प्र.शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी **आगर**
3. पंकज कुमार पिता घनश्यामदास अटल **निवासी** जामा मस्जिद गली आगर मालवा जिला शाजापुर
4. नितिन कुमार पिता घनश्यामदास अटल **निवासी** जामा मस्जिद गली आगर मालवा जिला शाजापुर
5. सुमीत कुमार पिता घनश्यामदास अटल **निवासी** जामा मस्जिद गली आगर मालवा जिला शाजापुर
6. प्रदीप कुमार पिता रामप्रसाद अग्रवाल **निवासी** पटमा गली आगर जिला शाजापुर
7. पुनीता भराणी पति कमलनयन भराणी निवासी इन्दौर
8. जगदीश पिता गोरधनलाल लाठी निवासी **देवास**

श्री पारस जैन अभि० द्वारा आज दि० 11.4.12 को उज्जैन कोर्ट पर पेश किया।
11.4.12
रीडर

–प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार आगर के प्रकरण क्रमांक 17 अ 3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 से दुखी होकर निम्नानुसार पेश है:–

महोदय,

1:– यह कि कस्बा छावनी आगर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 181 रकबा **2.457** में से 0.819 हे. पश्चिमी भाग, सर्वे क. 182 रकबा 0.314 में से 0.104 हे. **पश्चिमी** भाग तथा सर्वे क. 183 रकबा 0.261 हे में से रकबा 0.087 हे. पूर्वी भाग मुझ निगरानीकर्ता रामलता देवी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति **थी** जिसकी एक मात्र मालिक मैं रामलतादेवी थी व उक्त सम्पत्ति को मैंने प्रतिनिगरानीकर्ता कमांक 3 लगायत 8 को बजरिये रजिस्टर्ड विकय के **बेच** दी **तथा** अपने सुनिश्चित हक के आधिपत्य को भी इन्हें सौंप दिया था।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1051-एक/12 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	